:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया सहिता ::

भीलवाड़ा जिला मुख्यालय एवं जिले के उपखण्ड क्षेत्र भीलवाड़ा, सामपुर, गंगापुर, शाहपुर, करेजाल, गुलाबपुर, फुलियालां, कोटदी में निवासपत्र स्थित को नावल कोरेजा वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने से उसके आस-पास के क्षेत्र में कोरोना वायरस के अर्धविक संक्रमण की समाप्त करने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उपरोक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया हैं एवं मैं सलाह हूं कि ऐसी स्थिति में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के गये क्षेत्रों एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में निवासपत्र नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं केंद्रीय लोक शांति कबर्ले रखने की उपलब्धि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संस्था विपर्ययोजक से जारी की जाये।

अत: मैं शिवप्रसाद एम. नकदे, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा व्रद्ध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति कबर्ले रखने की उपलब्धि से जिला मुख्यालय एवं जिले के उपखण्ड क्षेत्र भीलवाड़ा, सामपुर, गंगापुर, शाहपुर, करेजाल, गुलाबपुर, फुलियालां, कोटदी की निम्न सीमा क्षेत्रों को Containment क्षेत्र घोषित कर संस्था विपर्ययोजक लागू करता हूँ:–

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>नाम उपखण्ड</th>
<th>Containment क्षेत्र</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>भीलवाड़ा शहर के आवाजान नगर में निवासका कोरेजा संक्रमित व्यक्ति स्त्री दर्शन लोंडा/नरेंद्र कुमार के मकान को केंद्र बिनू मानते हुये उत्तर दिशा में लिलित्हिलिंड एण्ड ट्रेक्ट स्थान लगान लगान देखने की दृष्टि से जिला मुख्यालय एवं जिले के उपखण्ड क्षेत्र भीलवाड़ा, सामपुर, गंगापुर, शाहपुर, करेजाल, गुलाबपुर, फुलियालां, कोटदी की निम्न सीमा क्षेत्रों को Containment क्षेत्र घोषित कर संस्था विपर्ययोजक लागू करता हूँ:–</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>भीलवाड़ा शहर के आयोजन करेजा कोरेजा संक्रमित व्यक्ति श्री आरवेंद्र सिंह दातल लगान लगान देखने की दृष्टि से जिला मुख्यालय एवं जिले के उपखण्ड क्षेत्र भीलवाड़ा, सामपुर, गंगापुर, शाहपुर, करेजाल, गुलाबपुर, फुलियालां, कोटदी की निम्न सीमा क्षेत्रों को Containment क्षेत्र घोषित कर संस्था विपर्ययोजक लागू करता हूँ:–</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>जिला मुख्यालय के बाहुलकार क्षेत्र में निवासका कोरेजा संक्रमित व्यक्ति श्री शमशान त्रेस कोडानी के मकान को केंद्र बिनू मानते हुये उत्तर दिशा में लिलिक एण्ड ट्रेक्ट लगान लगान देखने की दृष्टि से जिला मुख्यालय एवं जिले के उपखण्ड क्षेत्र भीलवाड़ा, सामपुर, गंगापुर, शाहपुर, करेजाल, गुलाबपुर, फुलियालां, कोटदी की निम्न सीमा क्षेत्रों को Containment क्षेत्र घोषित कर संस्था विपर्ययोजक लागू करता हूँ:–</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>भीलवाड़ा शहर के गाँधीनगर क्षेत्र में निवासका कोरेजा संक्रमित व्यक्ति कृष्णा शंकर गुरु कोडानी के मकान को केंद्र बिनू मानते हुये उत्तर दिशा में लिलिक एण्ड ट्रेक्ट लगान लगान देखने की दृष्टि से जिला मुख्यालय एवं जिले के उपखण्ड क्षेत्र भीलवाड़ा, सामपुर, गंगापुर, शाहपुर, करेजाल, गुलाबपुर, फुलियालां, कोटदी की निम्न सीमा क्षेत्रों को Containment क्षेत्र घोषित कर संस्था विपर्ययोजक लागू करता हूँ:–</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>भीलवाड़ा शहर के न्यू साउथवेस्ट कोरेजा क्षेत्र में निवासका कोरेजा संक्रमित व्यक्ति श्री निन्दा शंकर गुरु कोडानी के मकान को केंद्र बिनू मानते हुये उत्तर दिशा में लिलित्हिलिंड एण्ड ट्रेक्ट लगान लगान देखने की दृष्टि से जिला मुख्यालय एवं जिले के उपखण्ड क्षेत्र भीलवाड़ा, सामपुर, गंगापुर, शाहपुर, करेजाल, गुलाबपुर, फुलियालां, कोटदी की निम्न सीमा क्षेत्रों को Containment क्षेत्र घोषित कर संस्था विपर्ययोजक लागू करता हूँ:–</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 17  | शाहपुरा   | उपर्युक्त क्षेत्र शाहपुरा के बारे में 18 कामगारों के मौलिक निवास के कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री राहुल मिश्रा का मानने के निफास को अन्तिम दिन को मृत्यु हो गई। उनके निवासियों के लिए एक वर्ष के लिए केंद्र की सरकार ने एक अन्तिम दिन अटूम्बर में मृत्यु का दिन का शुभ कार्यान्वयन किया।

| 18  | करेला   | उपर्युक्त क्षेत्र करेला के ग्राम अमलादास के मिश्रा मौलिक के कोरोना संक्रमित दक्षिणी के लिए विभेदित रहित प्रशिक्षण के लिए केंद्र ने निवास के मृत्यु का दिन के लिए एक श्रीमानी का मानने के निफास को अन्तिम दिन को मृत्यु हो गई। उनके निवासियों के लिए एक वर्ष के लिए केंद्र की सरकार ने एक अन्तिम दिन अटूम्बर में मृत्यु का दिन का शुभ कार्यान्वयन किया।

| 19  | गुलाबपुर   | उपर्युक्त क्षेत्र गुलाबपुर के ग्राम अमलादास के मिश्रा मौलिक के कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री राहुल मिश्रा का मानने के केंद्र ने निवास के मृत्यु हो गई। उनके निवासियों के लिए एक वर्ष के लिए केंद्र की सरकार ने एक अन्तिम दिन अटूम्बर में मृत्यु का दिन का शुभ कार्यान्वयन किया।

| 20  | पुलियाकला   | उपर्युक्त क्षेत्र पुलियाकला के राजपुर ग्राम धनोप के माली मौलिक निवास के कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री केंद्र ने निवास के मृत्यु हो गई। उनके निवासियों के लिए एक वर्ष के लिए केंद्र की सरकार ने एक अन्तिम दिन अटूम्बर में मृत्यु का दिन का शुभ कार्यान्वयन किया।

| 21  | कोट्ठी   | उपर्युक्त क्षेत्र कोट्ठी के ग्राम थालियादेव के ग्राम श्रीमान का खेड़ा बारे संक्रमण 02 में निवासियों कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री राहुल मिश्रा का मानने के केंद्र ने निवास के मृत्यु हो गई। उनके निवासियों के लिए एक वर्ष के लिए केंद्र की सरकार ने एक अन्तिम दिन अटूम्बर में मृत्यु का दिन का शुभ कार्यान्वयन किया।

| 22  | कोट्ठी   | उपर्युक्त क्षेत्र कोट्ठी के ग्राम थालियादेव के ग्राम श्रीमान का खेड़ा बारे संक्रमण 02 में निवासियों कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री राहुल मिश्रा का मानने के केंद्र ने निवास के मृत्यु हो गई। उनके निवासियों के लिए एक वर्ष के लिए केंद्र की सरकार ने एक अन्तिम दिन अटूम्बर में मृत्यु का दिन का शुभ कार्यान्वयन किया।

| 23  | कोट्ठी   | उपर्युक्त क्षेत्र कोट्ठी के ग्राम थालियादेव के ग्राम श्रीमान का खेड़ा बारे संक्रमण 02 में निवासियों कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री राहुल मिश्रा का मानने के केंद्र ने निवास के मृत्यु हो गई। उनके निवासियों के लिए एक वर्ष के लिए केंद्र की सरकार ने एक अन्तिम दिन अटूम्बर में मृत्यु का दिन का शुभ कार्यान्वयन किया।

| 24  | कोट्ठी   | उपर्युक्त क्षेत्र कोट्ठी के ग्राम थालियादेव के ग्राम श्रीमान का खेड़ा बारे संक्रमण 02 में निवासियों कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री राहुल मिश्रा का मानने के केंद्र ने निवास के मृत्यु हो गई। उनके निवासियों के लिए एक वर्ष के लिए केंद्र की सरकार ने एक अन्तिम दिन अटूम्बर में मृत्यु का दिन का शुभ कार्यान्वयन किया।

| 25  | कोट्ठी   | उपर्युक्त क्षेत्र कोट्ठी के ग्राम थालियादेव के ग्राम श्रीमान का खेड़ा बारे संक्रमण 02 में निवासियों कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्री राहुल मिश्रा का मानने के केंद्र ने निवास के मृत्यु हो गई। उनके निवासियों के लिए एक वर्ष के लिए केंद्र की सरकार ने एक अन्तिम दिन अटूम्बर में मृत्यु का दिन का शुभ कार्यान्वयन किया।

उक्त अभियंतित क्षेत्रों में जनिक आवश्यक वस्तुओं/सामग्री यथा-किराणा/जनरल स्टोर/मेडिकल स्टोर की दुकान द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी गैरमूलाधार के ऐतिहास्य में यथार्थत व्याख्यात हो सकेगी।
मैं, जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अपहेल्ताना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिवेदन कार्यक्रमों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड सहित की धारा 188, 269, 270 एवं "The Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020, National Disaster Managemen Act, 2005" एवं अन्य सु-समृद्ध विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूँकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तियों का पालना करना जाना सम्भव नहीं है। अतः, एक पहली आदेश जारी किया जाकर सर्व सावधान की जानकारी हेतु जिला मुख्यालय एवं संचालित उपखण्ड क्षेत्र की वर्तमान सीमा क्षेत्र में मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चयन कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं सामान्य पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जाये।

यह आदेश आज दिनांक 27 जुलाई 2020 को सांख्य 6:00 बजे से मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुदा से जारी किया गया है।

(शिवप्रसाद कृष्ण नकाले)
जिला मुखिया,
भीलवाड़ा

प्रस्तिलिपि —निम्न का सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तिलिपि है —
01. संबंधीय आयुक्त, अजमेर
02. महानिरीक्षक, पुलिस रेजी, अजमेर
03. समस्त जिला मुखिया, राजस्थान
04. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेते हैं कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जाये।
05. अंतिम जिला मुखिया, (प्रशासन/शहर) भीलवाड़ा
06. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
07. उपखण्ड मुखिया, भीलवाड़ा, रायपुर, गंगापुर, शाहपुर, करेडा, गुलाबपुर, फुलियाबल, कोटडा को भेजकर लेते हैं कि उक्त आदेश की अक्सर पालना सुनिश्चित करने साथ ही स्थानिय स्तर पर सर्वसंचित विमानों/संस्थाओं आदि से समस्त स्थापित व्यक्तियों का आदेश स्वीकार कर व्यापक आवश्यकताओं की वस्तुओं एवं समग्री का उक्त प्रतिवेदित क्षेत्र में निवासित अधिकारियों के सीधे पर ही उपलब्धता बाबत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
08. समस्त उपखण्ड मुखिया, जिला भीलवाड़ा
09. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को भेजकर लेते हैं कि उक्त प्रतिवेदित क्षेत्र में विशेष कार्यक्रमज्ञ तैयारी कर समयक्षेत्र प्रभावी तरीके सिद्धांत प्राप्त करें।
10. समस्त तहसीलदार एवं कार्यालय मुखिया, जिला—भीलवाड़ा
11. सहायकनिदेशक, सूचना/व्यवस्थापित कार्यालय, भीलवाड़ा को व्यापक प्रसार प्रसार हेतु।
12. अंतिम निजी सचिव, जिला कल्याण, भीलवाड़ा
13. समन्वित धारावाहिक जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेते हैं कि ध्वनि प्रसार यंत्रों के माध्यम से आदेश को साभार को सूचित किये जाने एवं आदेश की अक्सर: पालना सुनिश्चित करने हेतु। (हासा—जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा)

(शिवप्रसाद कृष्ण नकाले)
जिला मुखिया,
भीलवाड़ा

निजी शिलालेख